''साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन एवं उनके निराकरण में शिक्षकों का योगदान''

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की एम0एड0

उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र : 2014–15

शोध निर्देशक

(डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि)

एसोसिएट प्रोफेसर

शिक्षक–शिक्षा विभाग

शोधार्थिनी

(अन्जुली देवी)

एम0एस–सी0 गणित

एम0एड0 छात्रा

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा)

(सम्बद्ध–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी)

''साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन एवं उनके निराकरण में शिक्षकों का योगदान''

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की एम0एड0 उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र : 2014–15

शोध निर्देशक

(डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि)
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक–शिक्षा विभाग

शोधार्थिनी

(अन्जुली सैनी)
एम0एस–सी0 गणित
एम0एड0 छात्रा

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा)

(सम्बद्ध–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी)
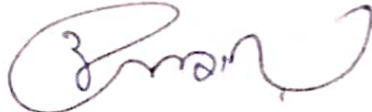
डा. अमरनाथ दत्त गिरि
एसोसिएट प्रोफेसर
.शिक्षक शिक्षा विभाग

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज
अतर्रा बांदा (उ.प्र.)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एम0एड0 (2014–15) की छात्रा **अन्जुली देवी पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार** ने अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा (बांदा) से ''साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन एवं उनके निराकरण में शिक्षकों का योगदान'' विषय पर अपना लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। इनका कार्य पूर्णतया मौलिक है। मैं इस लघुशोध प्रबन्ध की मूल्यांकन की संस्तुति करता हूँ।
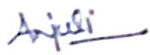
(डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि)

दिनांक 06.04.2015
स्थान :– अतर्रा

घोषणा – पत्र

मैं अन्जुली देवी पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार एम0एड0 (छात्रा) सत्र 2014–15 शिक्षक शिक्षा विभाग, अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा (बाँदा) घोषणा करती हूँ **"साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन एवं उनके निराकरण में शिक्षकों का योगदान"** शीर्षक यह लघु शोध मेरी मौलिक रचना है और इससे पहले इसे अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

दिनांक– 06·04·2015
स्थान :– अतर्रा

शोधार्थिनी

Anjuli

अन्जुली देवी
एम0एस–सी0 गणित
एम0एड0 छात्रा

आभार – प्रदर्शन

लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत करना शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण अभिलाषा होती है। इस अभिलाषा को कार्यरूप देने और पूर्ण करने में उन सभी विद्वानों और स्नेहीजनों का स्मरण करना चाहूँगी, जिनके स्नेह, अशीर्वाद और मार्ग दर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। इस कार्य में विभिन्न पुस्तकालयों, विद्वानों एवं छात्रों के ज्ञान का लाभ मैनें उठाया है। जिनका उल्लेख लघु शोध प्रबंध में किया गया है, उन सभी विद्वानों की अभारी हूँ।

अध्येता एवं प्रचेता, कर्मनिष्ठ, पित्रतुल्य, पूज्य गुरूवर एवं मेरे लघु शोध निर्देशक **डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि** जी जिनका असीम स्नेही आशीर्वाद और बहुमूल्य समय मुझे सहज ही सुलभ रहा। इनके प्रेरणा एवं स्नेह पूर्ण मार्गदर्शन के लिये मैं हमेशा चिरऋणी रहूँगी।

मैं शिक्षक–शिक्षा विभाग के **असिस्टेन्ट प्रोफेसर डॉ0 राजीव अग्रवाल** और **डॉ0 सुशील कुमार** के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस लघुशोध को पूरा करने में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

मै उन समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो तथा शिक्षकों की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत अध्ययन हेतु मापनी को भरकर प्रदत्त संग्रह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस कार्य में जिनका स्नेहपूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन भी कार्य की पूर्णता में सहायक रहा उनमें सर्वप्रथम **डॉ0 संजय कुमार द्विवेदी** विभागाध्यक्ष बी0एड0 विभाग श्री स्वामी नागा जी बालिका डिग्री कालेज भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर उ0प्र0 एवं **डॉ0 सुशील कुमार शुक्ला एवं श्री बुद्धबिलास सिंह** इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।

पिता **श्री देवेन्द्र कुमार** एवं **माँ श्रीमती शशी,** के स्नेहमयी सानिध्य के तले मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो सका उनको शाब्दिक धन्यवाद देकर मैं उनकी महत्ता कम नहीं कर सकती। अग्रज **भाई श्री मोहन गुप्ता** मेरे व्यक्तित्व के भाव प्रवण शिल्पी है, "तू मेरे दिल में मिसाले चमन महकता है" अपने इस रचनात्मक पडाव पर उनकी खुशी का अनुमान लगा सकती हूँ।

मैं **श्री अजय कुमार वर्मा** का भी आभार व्यक्त करती हूँ। इस लघुशोध प्रबन्ध को टाइप किया है ।

अंत में उन सभी विद्वानों एवं स्नेहीजनों का मैं अभारी हूँ जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग इस कार्य में मुझे प्राप्त हुआ हैं।

दिनांक 06.04.2015
स्थान :– अतर्रा

Anjuli
अन्जुली देवी
एम0एस–सी0 गणित
एम0एड0 छात्रा

विषय – सूची

प्रथम अध्याय

(प्रस्तावना)

:– प्रस्तावना –:

1.1 साम्प्रदायिकता की पृष्ठभूमि–

आज हम 21 वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, आर्थिक,व सामाजिक इत्यादि में मानव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा देश जो कि विश्व भर में एक बहुभाषी, बहुधर्मी एवं प्रजातंत्रात्मक देश के रूप में जाना जाता है, वहाँ अनेक धर्म सम्प्रदाय के लोग रहते हैं।

प्राचीनकाल :–

प्राचीनकाल में भारत की सामाजिक व्यवस्था शान्ति पूर्ण थी। उस समय साम्प्रदायिकता जैसी समस्या कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी यद्यपि उस समय भी वर्ण एवं जाति व्यवस्था समाज में थी लेकिन वर्ग एवं जाति का विभाजन किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर नहीं किया जाता था। उस समय जाति एवं वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति का व्यवसाय था। जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता था उसे उसी वर्ग का कहा जाता था। प्राचीनकाल में वर्ण व्यवस्था में लचीलापन था। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना वर्ण बदल भी सकता था। वर्णो में ऊँच–नीच का भेदभाव भी नहीं था और एक दूसरे के यहां खान–पान पर विशेष नहीं था। इस व्यवस्था में किसी भी वर्ण को उच्च या निम्न नहीं बताया गया।

धीरे–धीरे इस समाज का विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा। जिसे पूर्णतः जाति शब्द से सम्बोधित किया जाने लगा जिसके साथ ऊँच–नीच की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान एवं शूद्र को निम्न स्थान पर माना जाने लगा। प्रत्येक जाति को केवल अपनी ही जाति के सदस्यों द्वारा बनाया गया भोजन करने की अनुमति दी गई।

लेकिन उस समय जाति व्यवस्था का उद्देश्य हिन्दू समाज के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों व समितियों को एकता के सूत्र में बांधना था। अन्य व्यवस्थाओं के समाज भारत में जाति व्यवस्था का आरम्भ भी एक उपयोगी संस्था के रूप में हुआ था। लेकिन धीरे–धीरे इसके साथ इतनी पक्षपात पूर्ण मनोवृत्तियाँ तथा पूर्वाग्रह जुडते चले गये कि संस्था हमारे समाज को विघटित करने लगी।

मध्यकाल :–

जैसे–जैसे जाति व्यवस्था सामाजिक विघटन का आधार बनने लगी वैसे–वैसे जाति धीरे–धीरे सम्प्रदायों में विभाजित होने लगी और प्रत्येक सम्प्रदाय के व्यक्तियों के अन्दर दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह एवं वैमनस्य उत्पन्न होने लगा। यही वैमनस्य की भावना साम्प्रदायिकता कहलायी।

भारत में मुख्यतः साम्प्रदायिकत का उदभव मध्ययुग में हुआ। अरब तथा भारत के बीच व्यापारिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में तुर्कों ने उत्तर पश्चिम की ओर भारत पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। धीरे–धीरे अनेक देश के शासकों ने भारत शासन किया और अपने धर्म का प्रचार चतुर्दिक फैलाया। इस प्रकार अनेक वंशों के शासकों ने लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय तक उत्तर भारत पर शासन किया। ये शासन स्वेच्छाचारी थे। वे अपने को विदेशी मानते थे। ये लोग भारतीय मुसलमानों को भी अपने से भिन्न मानते थे।

एक ओर मुगलवंश में हुमायूँ और अकबर जैसे शासक थे जो प्रजा की भलाई करने को ही अपना धर्म मानते थे तथा सभी धर्मों का आदर करते थे

वहीं दूसरी ओर औरंगजेब जैसा अनुदार नीति वाला शासक था जो कि अपने धर्म के प्रचार हेतु दूसरे की जान तक लेने में अपना गौरव समझता था।

ब्रिटिश काल :–

भारत की धन सम्पदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियां 16 वीं शताब्दी से ही भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी। ये सभी यूरोपीय जातियां भारत में व्यापार करके अधिकाधिक लाभ उठाना चाहती थी। यही कारण था कि यूरोपीय कम्पनियों न केवल अपने देश के शासकों अपितु भारतीय राजाओं से भी व्यापारिक एकाधिकार पाना चाहती थी।

भारत में हिन्दू, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उद्‌भव एवं विकास के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि साम्प्रदायिकता भारतीय जन जीवन की उपज है या ब्रिटिश शासन की रीति का परिणाम।

महात्मा गांधी का यह विचार ही सत्य के अधिक समीप प्रतीत होता है। कि–"भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। यह तो ठीक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के उद्‌भव और विकास का सारा का सारा दोष अंग्रेजों के सर ही मढ दिया जाये। परन्तु इतना अवश्य कहना पडता है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के उद्‌भव और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व अंग्रेजों के कंधे पर ही आकर पडता है।"

अंग्रेजों की प्रभुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के भविष्य निर्माता थे। अतः भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, इस देश के मुसलमानों की स्थिति पर एक महान कुठाराघात था। अपने शासन के प्रारम्भ से ही अंग्रेज मुसलमानों से भय रखते थे। आंशका थी कि मुसलमान अपनी खोयी हुयी सत्ता को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। फलतः ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों का विरोध करने और हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने की जो नीति

अपनायी थी उसकी सत्यता लार्ड एलन वर्ग के इस कथन से भी प्रकट होती है।

मुसलमान जाति मौलिक रूप से हमारे विरुद्ध है और इसलिए हमारी सच्ची नीति हिन्दूओं को प्रसन्न रखने की है।''

फलतः उन्होंने हिन्दुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की प्लासी के युद्ध के बाद जब कम्पनी के हाथ में शासन–सत्ता आने लगी तो उसने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया और हिन्दुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। **'बहाबी आन्दोलन'** के रूप में मुस्लिम असन्तोष व्यक्त हुआ। सन्1857 की कान्ति में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया लेकिन अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगल शासन की स्थापना करने की चेष्टा की थी। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन की नीति अपनाई, लेकिन कुछ समय बाद हिन्दुओं के विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की बढती हुई प्रवृत्ति से अंग्रेज अब हिन्दुओं से डरने लगे। इसके फलस्वरूप 1893 ई0 में **'मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियण्टल डिफेन्स ऐसोसिएशन'** की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने एवं उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए सन् 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया।

वर्तमान काल :–

धीरे–धीरे साम्प्रदायिकता का जहर प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःमन तक फैलने लगा और पहले से ही बने हुए दूसरे सम्प्रदाय के प्रति पूर्वाग्रह को अपना स्वरूप दिखानें का अवसर मिलने लगा। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के अनुयायी को घृणा की दृष्टि से देखने लगा और जब तक धर्म के नाम पर

झगडे होने लगे। परिणाम स्वरूप दोनों सम्प्रदायों के कभी धर्म के नाम पर कभी मजहब का नाम पर दंगा फसाद हो रहे हैं जिसका उदाहरण राम जन्मभूमि और बावरी मस्जिद व गोधरा कांड से सम्बन्धित हिंसा का होना दिखाई पड रहा है।

प्रत्येक सम्प्रदायवादी किसी न किसी धर्म में विश्वास अवश्य रखता है। धर्म में विश्वास रखना बुरी बात नहीं है लेकिन वह अपने धर्म में इतना कट्टर रूप से विश्वास करता है कि अन्य धर्मों की उपेक्षा होने लगती है। इतना ही नहीं ये दूसरे धर्म की कटु आलोचना करते हैं, और अपने–अपने धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्तों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। जब ये व्यक्ति अपने धर्म के लिए मरते हैं तो धर्म व सम्प्रदाय संकीर्ण बन जाता है। इस प्रकार के सम्प्रदाय राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज को नहीं सोचते हैं, वरन् अपनी संकीर्ण सम्प्रदायवादी नीतियों के अनुसार ही अपने समुदाय के व्यक्ति को बताने का प्रयत्न करते हैं। सम्प्रदायवादी स्वभावतः राष्ट्रवाद, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली, वस्तुवाद आदि सिद्धान्तों से घृणा करते हैं क्योंकि उनका संकीर्ण सम्प्रदायवादी धार्मिक कट्टर दृष्टिकोण उन्हें अपने ही सम्प्रदाय के व्यक्तियों की परिधि में बन्दी वनाये रखता है इस प्रकार जब कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्मों को निम्न व हेय समझता है तब धर्म की भावना एकांगी हो जाती है। एक एकांगी धार्मिक भावना ही सम्प्रदाायिकता की भावना को उत्पन्न करती है और दो धर्मों व दो सम्प्रदायों के बीच अलगाव व मतभेद की भावना उत्पन्न होने लगती है।

1.2 साम्प्रदायिकता का अर्थ–

"साम्प्रदायिकता " शब्द सम्प्रदाय शब्द से बना है। किसी विषय विशेष शब्द सम्प्रदाय शब्द से बना है । किसी विषय विशेष में आस्था रखने वाले

व्यक्ति समूह को 'सम्प्रदाय' कहा जाता है परन्तु भारत में सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग 'धार्मिक साम्प्रदायिकता' के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से साम्प्रदायिकता वह विश्वास है जिसके अधीन लोगों को एक वर्ग जो एक ही धर्म का पालन करता है, उस धर्म के राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार एक धर्म के अधिसंख्यक अनुयायी मात्र धार्मिक हितों में नहीं वरन् सामान्य धर्मनिरपेक्ष हितों में भी भागीदारी करते हैं।

प्रायः 'साम्प्रदायिकता' तथा 'धार्मिकता' को एकार्थी मान लिया जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति साम्प्रदायिक भी हो या साम्प्रदायिक व्यक्ति धार्मिक भी हो। **'महात्मा गांधी'** पूर्णतया धार्मिक होते हुए भी साम्प्रदायिक नहीं थे, जबकि **'मिर्जा जिन्ना'** धार्मिक व्यक्ति न होते हुए भी साम्प्रदायिक व्यक्ति थे। धर्म का सीधा सम्बन्ध भावनाओं से होता है अतः स्वार्थी राजनीतिक तत्व तथा धार्मिक रूढ़िवादी सत्ता लोलुप लोग अन्य व्यक्तियों को धार्मिक भावनाओं को उभारकर साम्प्रदायिकता की मनोवृत्ति का प्रसार कर विभिन्न सम्प्रदायों को परस्पर विभाजित ही नहीं करते, अपितु उन्हें आपस में लड़ाकर अपने हितों की पूर्ति भी कर सकते हैं । ऐसा करने पर सम्प्रदाय विशेष के लोग अपने आर्थिक हितों को भी जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है धार्मिक विचार से जोड़ लेते हैं और दूसरे सम्प्रदाय का अपना विरोधी और कभी – कभी अपना शत्रु मान लेते हैं।

साम्प्रदायिकता से तात्पर्य विभिन्न धर्मों से नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को स्वेछा से अपने–अपने धर्म को मानने का अधिकार है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म का आदर करता तो वह साम्प्रदायिकता नहीं कहलाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे धर्मों की निन्दा करता है उसे

निम्न समझता है एवं दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों का अहित करने प्रयास करता है तो यही भावना साम्प्रदायिकता कहलाती है।

साम्प्रदायिकता वह संकीर्ण मनोभाव है, जो एक पन्थ, धर्म अथवा सम्प्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये पायी जाती है और फलस्वरूप समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हो जाता है। साम्प्रदायिकता की भावना लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। वास्तव में मानव की यह प्रवृत्ति उसे बर्बर समाज में प्रवेश कराती है। साम्प्रदायिकता की भावना राष्ट्र की एकता को नष्ट कर देती है और देश की उन्नति में रूकावटें डालती हैं।

1.3 साम्प्रदायिकता की कतिपय परिभाषा –

साम्प्रदायिकता का आशय स्पष्ट करते हुए **बिन्सेण्ट स्मिथ** ने कहा है कि–

"एक साम्प्रदायिकता व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक अथवा भाषीय समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीति इकाई मानता है जिसके हित में से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी बन सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूह की विचारधारा को सम्प्रदायवाद अथवा साम्प्रदायिकता कहा जायेगा।"

डॉ0 बी0एन0 सिंह के अनुसार–

"साम्प्रदायिकता की समस्या का एक नवीन दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न किया गया है। अनका मत है कि प्रत्येक धर्म में साम्प्रदायिकता की भावना पायी जाती है। जैसे हिन्दू धर्म ब्राह्मण और हरिजन,इस्लाम धर्म में सिया व सुन्नी तथा ईसाई धर्म में साम्प्रदायिकता की भावना पायी जाती है।"

रेण्डम हाउस डिक्शनरी के अनुसार–

"साम्प्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति, न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है।"

बलराज पुरी के शब्दों में–

"साम्प्रदायिकता अपने गैर धार्मिक समस्याओं के बारे में समुदाय की चिन्ता को अभिव्यक्ति है।"

सुरंजन दास के अनुसार–

"साम्प्रदायिकता ऐसी विचारधारा है जो अन्य समुदायों की कीमत पर स्वैच्छिक लाभ हासिल करने के लिए एक समुदाय के विशेष हितों के लिए व्यक्ति का वचनबद्धता मांगती है।"

1.4 साम्प्रदायिकता का चतुर्दिक विस्तार–

वास्तव में देखा जाये तो यह सम्प्रदायिकता की समस्या का इतिहास भारत भूमि पर सैकडों वर्ष पुराना है। स्वतंत्रता से पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलमानों ने यहाँ पर कई वर्षों तक राज्य किया है और उनमें शक्ति क्षमता है इसलिये उन्होंने मुस्लिम को किसी भी प्रकार की सुविधायें देना समाप्त कर दिया। किन्तु जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि हिन्दु और मुसलमानों के मिलने से उनका शासन समाप्त हो सकता है तो उन्होंने सम्प्रदायिकता की चिंगारी दोनों के मध्य लगाई उनकी नीति बन गई 'फूट डालो व राज्य करो।'

हम देखते हैं कि सम्प्रदायिकता की भावना की स्वतत्रंता के पश्चात समाप्त नहीं हुई बल्कि इनकी जडें गहराई तक पहुंचने लगी। दिन – प्रतिदिन सम्प्रदायिक दंगे बढते गये और प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय के लोग अपने–अपने लिये अलग–अलग राज्य की मांग करने लगे जैसे सबसे पहले तेलगू भाषा के आधार पर 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन तत्कालीन सरकार को करना पडा। धीरे – धीरे कई राज्य भाषा व क्षेत्रवाद के आधार पर राज्यों की मांग करते रहे। जैसे बहुत समय से गोरखालैण्ड, पंजाब में खालीस्थान और अभी हाल ही में आन्ध्र–प्रदेश में तेलंगना राज्य की मांग(अब राज्य बन गया है भारत का 29वां राज्य है) व उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल व पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग बहुत तेजी के साथ चल रही है। इसके साथ ही साथ राम जन्म भूमि और बावरी मस्जिद का मसला, गोधरा काण्ड जिसके पीछे भी केवल सम्प्रदायिकता की भावना छिपी हुई है जिसके फलस्वरूप हमारे देश की करोडो जनता धर्म एवं सम्प्रदाय के नाम पर अपने – अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटी । उनके माता–पिताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, न जाने कितनी बहनें भाई विहीन हो गईं लेकिन यह साम्प्रदायिकता आज भी अपनी मंजिल पर खडी ध्वज लहरा रही है।

भारत में मूल रूप से हिन्दू, बौद्ध व जैन धर्म तो थे ही आकमणकारी अपने साथ भिन्न–भिन्न धर्म भी लाये तथा उनका प्रचार भी किया। उदाहरणार्थ–इस्लाम या ईसाई धर्म । अंग्रेजों के शासन काल में साम्प्रदायिकता का बढावा मिला। यदि भारत के लोग एक हो जाते तो शायद उन्हें इतनी लम्बी अवधि तक शासन करने का अवसर ही न मिलता। अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति का परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के साथ ही भारत के दो टूकडे हो गये। विभाजन के बाद हिन्दू मुसलमान दोनों ही सम्प्रदाय के लोग अपना कारोबार आदि छोडकर सम्बन्धित देश में

शरण लेने लगे। अनेक लोग तो बीच में ही समाप्त हो गये। लेकिन इस भयंकर नरसंहार के बाद भी साम्प्रदायिकता की अग्नि समाप्त नहीं हुई। वह आज भी साम्प्रदायिक दंगों में प्रकट हो रही है।

1.5 सामस्या की उत्पत्ति –

हम अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यक्षेत्र में अनेक कठिनाईयों का अनुभव करते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति जीवन में अनेक समस्याएं देखता है तथा उनके समाधान की आवश्यकता महसूस करता है। इस कारण उसमें असन्तोष–वृत्ति उत्पन्न होती है। यह असन्तोष तथा जिज्ञासा उसमें अनुसंधान–वृत्ति पैदा करती है। एक शिक्षक अपनी कक्षा की प्रगति से, सामाजिक कार्यकर्त्ता सामाजिक विषमताओं तथा समस्याओं से, वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों से यदि असन्तुष्ट है तो इस असन्तोष को दूर करने की समस्या उसके सामने होगी और उसके फलस्वरूप वह नवीन मार्गों का अनुसंधान करेगा।

भारत एक बहुधर्मी देश है। यहां अनेक जातियां, सम्प्रदाय, पन्थ और बालियां हैं। सबकी परम्परायें, प्रथाएं अलग–अलग हैं एक समप्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से श्रेष्ठ मानात है जिसके कारण दो सम्प्रदायों के मध्य अक्सर तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी भी समााज शान्ति तभी बनी रह सकती है जब वहाँ सभी सम्प्रदायों के लोग परस्पर भाई–चारे की भावना से रहते हों।

अतः शोधार्थिनी ने साम्प्रदाायिकता के कारणों का एवं उसके निराकरण के क्या उपाय हैं इसका अध्ययन करना सुनिश्चित किया।

1.6 समस्या कथन–

प्रस्तुत अध्ययन का विषय है–" साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन एवं उसके निराकरण में शिक्षकों का योगदान।"

1.7 अध्ययन में आये पदों का परिभाषीकरण–

'साम्प्रदायिकता की भावना'

भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। यहां पर सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है उसका विकृत रूप कभी–कभी साम्प्रदायिकता के उभार में दृष्टिगोचर होता है। अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और उसके कल्याण के लिए सोचना व दूसरे सम्प्रदाय के प्रति घृणा की भावना भरकर उसे हानि पहुँचाकर अपने सम्प्रदाय के कल्याण की भावना ही साम्प्रदायिकता कहलाती है।

द्वितीय अध्याय

(सम्बन्धित साहित्य का अनुशीलन)

सम्बन्धित साहित्य का अनुशीलन

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र–पत्रिकाओं प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढाने में सहायता मिलती है।

2.1 साम्प्रदायिकता के निराकरण में शिक्षा की भूमिका :–

आज हमारे समाज में वर्गभेद बहुत बढ़ रहा है और हमारा समाज वर्गहीन समाज वने, हमारा देश एक पिछड़ा देश है और हमारी आकांक्षा इसे विकसित करने की है, और इस सब के लिए हम शिक्षा का सहारा ले रहे हैं।

साम्प्रदायिकता के लिए देश के नेताओं ने साम्प्रदायिकता का शोर मचाकर इसे और अधिक तूल दे दिया है, इसके लिए हम धर्म–निरपेक्षता की शिक्षा की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं।

हमारे देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं और जहाँ धार्मिक सम्प्रदायों का बाहुल्य हो वहाँ साम्प्रदायिक झगडे होने स्वाभाविक हैं। अतः हमारे लोकतंत्र में धर्म–निरपेक्षता के नाम पर धर्म विहीनता को स्वीकार कर रखा है और धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझ पाने के कारण हमारा नैतिक पतन हो रहा है, देश रसातल में जा रहा है धर्म–निरपेक्षता की बात करने वालों से हमारा निवेदन है कि लोकतंत्र सब धर्मों को समान दृष्टि से देखाता है किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। जब तक हमें सभी की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता तब तक हममें धार्मिक सहिष्णुता का विकास नहीं हो सकता तब तक हम धर्म के नाम पर झगड़ते ही रहेंगे। अतः धार्मिक सहिष्णुता का

विकास हमारी भारतीय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आदर्श शिक्षा के माध्यम से धार्मिक कट्टरता को दूर किया जाना चाहिए।

शैक्षिक अवसरों की समानता के महत्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता से हमारा तात्पर्य जाति, धर्म, रंग–रूप, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर पक्षपात् न करते हुए सबके लिए उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने से है। शिक्षा के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने परिभाषा इस प्रकार दी है–

महात्मा गांधी :–

"शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।"

हरबर्ट स्पेन्सर :–

"शिक्षा का अर्थ अन्तः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है।"

एडीसन :–

"जब शिक्षा मानव को प्रभावित करती है तो वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर व्यक्त करती है।"

भारत में स्वतंत्रता के पश्चातइस बात पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा कि शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्र की धर्म–निरपेक्षता की नीति के अनुकूल हो। इस दृष्टि से विभिन्न आयोगों ने धार्मिक शिक्षा पर प्रकाश डाला है। यहां पर शोधार्थिनी विभिन्न आयोगों के धार्मिक शिक्षा से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत कर रहा है।

राधाकृष्णन आयोग के विचार :–(1948–49)

आयोग ने लिखा है कि हिन्दू और मुस्लिम काल में धर्म का शिक्षण शिक्षा का आवश्यक अंग था। इसको छात्रों के निजी और सामाजिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक समझा जाता था। अंग्रेजों ले धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया । अतः उन्होंने शिक्षा पद्धति में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया।

परन्तु आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा को आवश्यक माना जाता है। यद्यपि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है परन्तु यह धर्मों की उपेक्षा नहीं करता है। संविधान की उन्नीसवीं धारा सब लोगों को अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने का अधिकार देती है। इन विचारों को व्यक्त करने के बाद आयोग ने धार्मिक शिक्षा के बारे में अधोलिखित सुझाव दिये।

1. सब शिक्षा संस्थाओं को अपना काम कुछ मिनट के मौन ध्यान के बाद प्रारम्भ करना चाहिए।
2. बी.ए. के प्रथम वर्ष में बुद्ध, ईसा, कन्फ्यूसियस, जोरस्टर, सुकरात आदि महान धार्मिक विद्वानों की जीवनियों का पढाया जाना चाहिए।
3. बी.ए. द्वितीय वर्ष में संसार की धार्मिक पुस्तकों से कुछ मानवतावादी चरित्रों के आदर्श कार्यो का अध्ययन किया जाना चाहिए।
4. बी.ए. तृतीय वर्ष में धर्म के दर्शन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आयोग ने धर्म–निरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक शिक्षा दिये जाने पर बल दिया। सभी धर्मो को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म–निरपेक्षता का यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ भी पवित्र अथवा पूज्यनीय

नहीं है। हम पूर्ण रूप में वैज्ञानिक भौतिकवाद को राष्ट्र के दर्शन के रूप में स्वीकार कर सकते, यद्यपि हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। परन्तु हम युगों से चली आ रही धार्मिक भावना को नहीं भुला सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग :–

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्‌देश्य को चरित्र की शिक्षा में निहित किया है, चरित्र निर्माण में धार्मिक व नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

हमारा हमारा देश धर्म–निरपेक्ष है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। आयोग ने अपनी नीति इस सम्बन्ध में इस प्रकार स्पष्ट है– कक्षा शिक्षण के आधार पर धार्मिक या नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अपितु विद्यालय के प्रभाव एवं अध्यापकों के व्यवहार पर निर्भर होनी चाहिए साथ ही अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए।

1. विद्यालय का प्रभाव जिसमें अध्यापकों का व्यवहार भी सम्मिलित है एवं समुदाय तथा विद्यालय के सम्बन्ध भी।
2. घर का वातावरण जिसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है।
3. समुदाय की धार्मिक प्रथा नैतिक मान्यताएँ।

इस प्रकार के विचार व्यक्त करने के बाद आयोग धार्मिक शिक्षा के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है।

संविधान के अनुसार विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वे केवल ऐच्छिक आधार पर और विद्यालय की पढाई के घंटों के अलावा धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा विशेष धर्म के बच्चों को ही और अभिभावकों तथा विद्यालय प्रवन्धकों की इच्छा से दी जानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्नांकित सुझाव दिये हैं–

1. धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है।
2. यह शिक्षा विद्यालय के अध्ययन के समय न दी जाकर उसके पूर्व या उसके उपरान्त दी जाये।
3. इस दशा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को बाध्य न किया जाए।

धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति के सुझाव :–

भारत सरकार की ओर से 17 अगस्त 1959 को इस लक्ष्य से देश की शैक्षणिक संस्थओं में धार्मिक व नैतिक शिक्षा का आयोजन किस प्रकार किया जाये, धार्मिक व नैतिक शिक्षा समिति नामक एक कमेटी नियुक्त की गयी जिसके सदस्य इस प्रकार थे–

1. श्री श्रीप्रकाश, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल व अध्यक्ष।
2. श्री जी0सी0 चटर्जी, उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय।
3. श्री ए0ए0फिजी, उपकुलपति, जम्मू कश्मीर।
4. श्री पी0एन0कृपाल, शिक्षा विभाग भारत सरकार मंत्री।

समिति सर्वेक्षण के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिक्षा में अनेक दोषों का कारण यह है कि समाज में धर्म का धीरे–धीरे लोप होता जा रहा है। भारतीय जीवन का आधार धर्म था। इसलिए भारत में एकता की भावना थी परन्तु जैसे–जैसे बन्धन ढीला होता गया। वैसे–वैसे एकता भी कम होती जा रही है। आध्यात्मिक एवं नैतिक स्थिति गम्भीर होती जा रही है। अतैव इन गुणों को अपने जीवन से अलग नहीं होने देना चाहिए, नही तो राष्ट्र का

जीवन छिन्न–भिन्न हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रखकर समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1.(अ) नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देना विद्यालयों में वांछनीय है लेकिन यह कार्य कुछ सीमा के भीतर होगा।

(ब) नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा में तुलनात्मक विधि से सभी धर्मों के महान नेताओं का अध्ययन आरम्भ में होगा। बाद में नैतिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मवादी सिद्धान्तों का अध्ययन होगा।

(स) सभी स्तरों पर देशभक्ति, सेवा, त्याग और अच्छे आचरणों के विचार को भी ध्यान में रखा जायेगा।

2. किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में घर के महत्व को हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए जन शिक्षा के माध्यम से घरों के दूषित वातावरण को दूर किया जाय। घरों की प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से उचित व्यवस्था की जाये।

3. राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा की गयी सिफारिश बहुत उपर्युक्त है जिसमें सभी शिक्षा संस्थाओं में कार्यारम्भ कक्षा में या हाल में शान्त रूप से प्रार्थना के साथ हो।

4. प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की कक्षाओं के लिए उपयुक्त धर्म पुस्तकें तैयार की जायें जो तुलनात्मक एवं सहानुभूति विधि से सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धान्तों एवं महान धार्मिक नेताओं की जीवनी तथा उपदेशों के सार को बताये।

5. अच्छे आचरणों और श्रृद्धा तथा शीलता के गुणों को बढाने की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये, जिसकी हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है उचित आचरणों को सिखाने की परम्परागत विधियों, जिसे उत्तर भारत में मुस्लिम मौलवी काम में लाते हैं का प्रयोग किया जाये।

6. प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

7. धार्मिक शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार होगी।

(अ) प्राथमिक स्तर पर :–

1. धर्म प्रवर्तकों और सन्तों के जीवन व उनके उपदेशों से सम्बन्धित सरल एवं रोचक कहानियां।

2. धर्म से सम्बन्धित कला एवं स्थापत्य कला का श्रव्य–दृश्य साधनों से प्रदर्शन।

3. सेवा की मनोवृत्ति का प्रचार।

4. शारीरिक शिक्षा की योजनाएं।

5. सप्ताह में दो घंटे नैतिक शिक्षा के लिए हों।

(ब) माध्यमिक स्तर परः–

1. प्रातःकालीन प्रार्थना सभा।

2. विश्व के महान धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धान्त।

3. छुट्टियों में तथा कक्षा के बाद समाज सेवाओं का संगठन जो पाठ्येत्तर क्रियाओं के रूप में हो।

4. बलकों के सम्पूर्ण कार्यों के मूल्यांकन में उनके चरित्र तथा व्यवहार के गुणों को भी परखा जाये इसका रिकार्ड भी रखें।

(स) विश्वविद्यालय स्तर पर :–

1. डिग्री कक्षाओं के सामान्य शिक्षा कोर्स में विभिन्न धर्मों का सामान्य अध्ययन भी एक अनिवार्य अंग हो।

2. डिग्री कोर्स के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में धर्म की पुस्तकों को पढ़ाया जाये।

3. स्नातकोत्तरीय कोर्स में तुलनात्मक धर्म का अध्ययन हो।

4. आज कल अनुशासन जैसे कि इसे समझा जाता है विद्यार्थियों में गायब हो गया है जिससे शिक्षा दोषपूर्ण हो गयी हैं। छात्र पढाई की ओर ध्यान न देकर समाज विहीन कियाओं में समय नष्ट करते हैं। अध्यापक और छात्र सहकारिता और चरित्र निर्माण के लिए धर्म शिक्षा आवश्यक है।

5. विद्यालय में धर्म शिक्षा जरूरी है लेकिन यह संविधान की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

6. धार्मिक शिक्षा अच्छे अध्यापकों के द्वारा उत्पन्न किये गये वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इसलिए अध्यापकों के चुनाव और नियुक्ति प्रशिक्षण पर ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए अध्यापक का वेतन बढाना, समाज मे उसका पद ऊँचा करना और उसे प्राचीन आदर सत्कार को पुनः देना चाहिए।

7. धर्म शिक्षा के साथ देश–प्रेम की शिक्षा के मूल्यों को भी सिखाया जाये। डॉ0 भगवान दास लिखित "**दि0 एसेन्शियल्स ऑफ दि रिलीजन्स**" या मौलाना अहमद की पुस्तक "**कमेन्ट्री ऑन दी कुरान**" जैसी पुस्तकें पढ़ाई जाये। इसके साथ समिति ने शारीरिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रमेत्तर कियाओं के माध्यम से नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देने पर बल दिया है।

उक्त बातें सामान्य हैं व जीवन के मूल्यों के अधिक निकट हैं। यदि मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन कर इन आदर्शों के अनुसार आचरण करे तो निःसंदेह विद्यालय का वातावरण शुद्ध सात्विक बन सकता है । समाज का

विकृत रूप आदर्श बन सकता है। इसका बोझ हर व्यक्ति के कंधे पर है। कोई एक व्यक्ति इस कार्य का भार अपने ऊपर नहीं ले सकता है। यह सबका सामूहिक कार्य है। ऐसी भावना लेकर यदि अपने अन्तःकरण को पवित्र कर दिया जाये तो समाज का रूप बदलने में विलम्ब नहीं होगी। इसमें सबसे बडा उत्तरदायित्व शिक्षित समाज पर है, विद्या मन्दिरों के समान विद्यालयों से प्राप्त होती है जो मानव–जीवन के सफलता की कुंजी है। शिक्षक, बालक तथा समाज का गुरू है यदि उसने अपना विशाल दृष्टिकोण बना लिया तो मानवता रूपी वृक्ष अनुकूल वातावरण पाकर पुष्पित तथा पल्लवित हो सकेगा।

वास्तव में धार्मिक तथा नैतिक समिति में अत्याधिक सुझाव रिपोर्ट में दिये। समिति ने धर्म शब्द की व्याख्या बड़े मार्मिक ढंग से की है। धर्म शब्द का अर्थ – कर्त्तव्य बताया गया है। कुछ लोग धर्म का तात्पर्य सम्प्रदाय से समझते हैं ऐसा समझना भारतीय दृष्टिकोण के विरूद्ध है। यद्यपि समिति ने अमूल्य सुझाव दिये लेकिन दुर्भाग्यवश समिति के सभी सुझावों को शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं किया गया है।

शिक्षा आयोग (1964–66) के विचार :–

भारत ने धर्म–निरपेक्ष नीति को ग्रहण किया है इस नीति को अपनाने का अर्थ यह है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में सभी अधिकारों को वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के साथ न तो कोई पक्षपात किया जायेगा और न ही उसके साथ कोई पक्षपात् किया जायेगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जायेगा और राज्य के विद्यालयों में धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा नहीं दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के समाज में धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा में भेद करना पडता है।

पहले का सम्बन्ध तो मुख्यतः किसी धर्म विशेष के सिद्धान्त एवं आचार्य की उसी रूप में शिक्षा देने से होता है। जो कि सम्बन्धित धर्म द्वारा परिकल्पित की जाती है। परन्तु दूसरी एक व्यापक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। यह शिक्षा आत्मा की अनन्त खोज से सम्बन्धित है जिसकी विभिन्न धर्मों वाले धर्म–निरपेक्ष राज्य के लिए यह व्यवहार नहीं होगा कि वह किसी एक धर्म की शिक्षा दे फिर भी ऐसे लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी धर्मों के सहिष्णुता पूर्ण अध्ययन को बढावा दे। जिससे उसके नागरिक एक दूसरे को और अधिक अच्छे तरह समझ सकें तथा शान्ति पूर्वक साथ–साथ रह सके। इस प्रकार के धार्मिक शिक्षण के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है–

"हमारा यह सुझाव है कि प्रत्येक प्रमुख धर्म से सम्बन्धित चुनी हुई जानकारी देने वाला एक पाठ्यकम स्कूलों तथा कालेजों में प्रथम उपाधि तक प्रारम्भ किये जाने वाले नागरिकता सम्बन्धी पाठ्यकम या सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यकम विश्व के महान धर्मों में पायी जाने वाली मूलभूत समानताओं को भी स्पष्ट करें। पर पाठ्यकम देश के सभी भागों में एक जैसा हो।"

धार्मिक अनुभूति एवं गुण आन्तरिक होता है यह बाहर से लादा नहीं जाता। आन्तरिक होने से उसे अधयपक या नेता व्याख्यान प्रेरित अवश्य सकता है न कि उसका आधार बन सकता है। इसके लिए व्यक्ति या समाज ऐसा वातावरण प्रदान करे जो आत्मानुभूति की ओर स्वयं ले जाये। अध्यापक एवं अभिभावक को चाहिए कि वे बालकों को ऐसे ढंग से पढाये एवं व्यवहार सिखायें जिससे उनमें अन्ध–विश्वास, धर्म कट्टरता, पारस्परिक वैमनस्य,

संकीर्णता, अनैतिकता और अनाचार की बातें न आयें। साथ ही साथ साम्प्रदायिकता के विनाश के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है।

1. प्रार्थना के लिए एकत्र होना :-

प्रार्थना मूक अथवा सस्वर हो सकती है इन दोनों का लक्ष्य ध्यान की ओर एकाग्रता एवं कर्त्तव्यों के पालन के लिए याद दिलाना है। प्रार्थना सर्वसामान्य हो जिससे सभी धर्मो का प्रचार हो।

2. धार्मिक स्थानों का भ्रमण करना :-

वास्तव में ऐसे स्थान केवल धर्म के लिए प्रसिद्ध नहीं होते बल्कि वे विद्या व ज्ञान के केन्द्र होते हैं तथा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध होते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी मतावलंबियों के स्थानों को देखना चाहिए।

3. महान पुरूषों व विद्वानों की जीवनी पढ़ना :-

धर्म, व्यवसाय, शिक्षा, समाज कार्य आदि के क्षेत्र में जो बडे लोग होते हैं, उनके जीवन को देखने से ज्ञात होता है ि कवे किस प्रकार त्याग, अध्यवसाय, परिश्रम आदि के कार्य करते रहे हैं। सभी धर्मों की पुस्तकों से संग्रह करके एक पुस्तक बनायी जाये जिसे पढाया जाये।

4. महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाना :-

विद्यालयों में सभी महापुरुषों जैसे गांधी जी, रविदास जयन्ती, महावीर जयन्ती, सुभाष चन्द्र वोस जयन्ती, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, गुरूगोविन्द, ईसा

मसीह जन्म दिवस सामूहिक रूप से मनाये जायें जिससे सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित रूप से भाग लें।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि मानव और समाज के जीवन में धर्म का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि आज मानव धर्म भौतिकवाद में विश्वास करने लगा है। फिर भी धर्म और धार्मिक शिक्षा के बिना जीवन व्यतीत नहीं किय जा सकता। अतः बालकों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहे उसके रूप और ढंग कुछ भी हो।

2.2 साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक : रोग से बदतर इलाज :–

केन्दीय मंत्रिमण्डल ने सरकार को संसद के बजट सत्र में साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है, इस विधेयक का मूल प्रारूप सन् 2005 में तैयार हुआ था, सन् 2002 के गुजरात कत्लेआम में भाजपा सरकार व नरेन्द्र मोदी की भूमिका से नाराज मुसलमानों ने 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को बडे पैमाने पर अपना समर्थन दिया, जिसके कारण एन0डी0ए0 गठबंधन को धूल चाटनी पडी।

विमर्श के प्रतिभागियों को तो बिल में दी गई साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा भी अपूर्ण व गलत लगी, विमर्श ने यह सिफारिश भी की गई कि साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। विमर्श ने किसी खारा इलाके को साम्प्रदायिक गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी प्रावधान पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाए। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में वायदा किया था कि अपनी सरकार बनने पर गुजरात में हुए अल्पसंख्यकों के कत्लेआम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वह एक नया कानून बनाएगी।

इस कानून का मसौदा भी सरकार ने तैयार किया, इस मसौदे का हमारे सेंटर सहित कई गैर–सरकारी संगठनों, मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने अध्ययन किया था और इसमें कई कमियां पाई थी।

बिल के मसौदे पर कई चर्चाएं और संगोष्ठियाँ भी आयोजित की थी और मसौदे में कई ऐसे संशोधन सुझाए थे, जिनसे वह इन उद्दश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता था, जिनके लिए इसे बनाने की चर्चा है। तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने भी इस विधेयक पर कई शहरों में विचार–विमर्श किया था और यह आश्वासन दिया था कि गैर सरकारी संगठनों व अन्य संस्थाओं द्वारा विधेयक में संशोधन के लिए दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। परन्तु इस विधेयक का अन्तिम मसौदा तैयार करते समय हमारे सुझावों को कोई महत्व नहीं दिया गया।

विधेयक का वर्तमान मसौदा, जिसे संसद की स्थयी समिति व कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है, मूल प्रारूप से जरा भी बेहतर नहीं है। सरकार की असली मंशा क्या है, यह हमारी समझ से परे है। इसीलिए हमने कहा कि इलाज, रोज से बदत्तर ही हो गया है।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वर्तमान विधेयक पुलिस को और अधिक शक्तियां देता है। जहाँ तक साम्प्रदायिक हिंसा का सवाल है, अपने यहां की पुलिस, समस्या ज्यादा है और समाधान कम, अगर हमारे देश की पुलिस निष्पक्ष होती तो शायद ही कोई साम्प्रदायिक दंगा 24 घंटे से अधिक अवधि तक चल पाता, जो सरकारें दंगों को सचमुच रोकना चाहती हैं, उन्हें पुलिस के शीर्ष नेतृत्व से इतना भर कहना होता है कि अगर 24 घंटे में दंगे

बंद नहीं हुए तो सम्बन्धित पुलिसवालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और दंगे रूक जाते हैं। जिन लोगों ने भी साम्प्रदायिक दंगों का अध्ययन किया है, वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि दंगों के दौरान पुलिस की क्या भूमिका रहती है, वह मूकदर्शक बनी रहती है या दंगों में भाग लेती है। गुजरात व कंधमाल, दो ऐसे हालिया उदाहरण है जबकि पुलिस चाहती तो जल्दी ही हिंसा बन्द हो जाये लेकिन दंगों में पुलिस की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है, कई मामलों में तो पुलिस ने दंगाईयों का नेतृत्व तक किया है, अगर पुलिस को और ताकतवर बनाया गया जैसा कि वर्तमान विधेयक करने जा रहा है तो इसके नतीजे भयावह होंगे। असल में पुलिस नहीं, दंगा पीडितों को और शक्तियां दिये जाने की जरूरत है। नई दिल्ली में अनहद, **सीएसएसएस** और कई संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 12–13 फरवरी 2010 को इस विधेयक पर आयोजित वृहत विमर्श में विधेयक के वर्तमान प्रारूप को सिर से खारिज कर दिया गया।

इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर किसी क्षेत्र में दंगे नियंत्रित नहीं होते तो उसे अशान्त क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। यह तो पुलिस को असीमित शक्तियाँ देने जैसा है ऐसा देख गया है कि कर्फ्यू के दौरान भी उसे अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में अधिक कडाई से लागू किया जाता है जबकि बहुसंख्यक मोहल्लों मे यह नाममात्र के लिए लागू किया जाता है। उत्तर–प्रदेश के एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी विभूति नारायण सिंह का उपन्यास शहर में कर्फ्यू और उनकी अन्य कई रचनाएँ इस स्थिति को अत्यन्त सारगर्भित तरीके से सामने लाती हैं, किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त या अशान्त क्षेत्र घोषित करने के बाद, पुलिस को इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार होगा, कश्मीर और उत्तर–पूर्व के राज्यों में उपद्रवग्रस्त

क्षेत्र को अशान्त घोषित करने से हिंसा पीडितों को कोई राहत तो मिलती नहीं है, उल्टे वे स्वयं को असहाय अनुभव करने लगत हैं, लोगों को मानवअधिकारों की रक्षा की तनिक भी चिंता है, वे पुलिस को और अधिक अधिकार देने का समर्थन तब तक नहीं कर सकते जब तक पुलिस को उसकी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार न बनाया जाये।

समस्या यह है कि अन्य कई कानूनों की तरह इस प्रस्तावित कानून में भी प्रशासन पुलिस या राजनेताओं को दंगों पर नियंत्रण करने में असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है मानवाधिकार कार्यकर्त्ता लगातार यह कहते रहे हैं कि वर्तमान कानूनों को ही यदि ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाये तो वे किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार और बिहार की आर0जे0डी0 सरकार ने वर्तमान कानूनों के बल पर ही अपने–अपने राज्यों में क्रमशः तीन साल और पन्द्रह साल तक साम्प्रदायिक हिंसा नहीं होने दी जबकि साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में इन दोनों राज्यों का इतिहास बेदाग नहीं रहा है।

2.3 साम्प्रदायिक भावना के निराकरण में शिक्षकों का योगदान :–

किसी भी देश की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति का विकास मुख्यतः उस देश की स्त्रियों की भूमिका पर निर्भर करती है। एक पढ़ी लिखी स्त्री न केवल अपने परिवार को अपितु समाज, देश एवं विभिन्न क्षेत्रों को सुधारने एवं नीतियों के निर्धारण में अपना अमूल्य योगदान देती है। आज के युग में स्त्री एक अबला नहीं रही । आज वह पढ़–लिखकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा–से–कंधा मिलाकर आगे बढ़ने एवं सकिय भूमिका अदा

करने का प्रयास अदा कर रही है और अकथनीय रूप से सफलता भी प्राप्त कर रही है। आज समय की मांग है कि एक स्त्री जो घर में एक मां, बहन व पत्नी होकर घर को उत्तम रूप से चलाती है। वह एक शिक्षिका होकर विद्यालय में एक नहीं अनेक बच्चों को शिक्षित करके साम्प्रदायिकता जैसी समस्या को सुलझाने में भरपूर योगदान दें।

वास्तव में नारी समाज की आधारशिला है। वैदिक काल से आजतक सामाजिक समस्याओं एवं शैक्षिक विचारधारा की नीतियों के निर्धारण में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। हमारे देश का प्राचीनतम इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियां आरम्भ में पूर्णतः स्वतंत्र थी। वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती रही हैं। उनसे शास्त्रार्थ करती रही हैं जैसे कुछ विदुषी महिलाएं –गार्गी, अपाला आदि । इसी प्रकार मुगलकाल में भी स्त्रियों के योगदान के उदाहरण मिलते हैं।

तृतीय अध्याय

(शोध पद्धति एवं प्रक्रिया)

तृतीय अध्याय

शोध पद्धति एवं प्रकिया

3.1 अनुसंधान का अर्थ :–

यह उस किया या प्रकिया का द्योतक है जिनमें अनेक प्रकोर के तथ्यों का एकत्रीकरण और उनके आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। यह एक सुसीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है तथा यह ऐसा व्यवस्थित तथा नियंत्रित अध्ययन है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चरों व घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपर्युक्त सांख्यिकीय विधि तथा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षो नियमों व सिद्धान्तों की रचना खोज व पुष्टि की जाती है।

अनुसंधान के क्षेत्र के अन्तर्गत केवल नये सत्यों व तथ्यों व सिद्धान्तों की खोज ही नहीं है वरन् पुराने सत्यों व पुराने सिद्धान्तों को युगानुरूप नवीनता प्रदान करना, प्रदत्तों व तथ्यों का नये सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उनमें व्यापक अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करना भी सम्मिलित है।

अनुसंधान शब्द को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है।

पी0एम0कुक–

"किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है।"

डब्लू0एस0 मुनरो–

"अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूँढ़ना है। अनुसंधान के लिए तथ्य, लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेख अथवा अभिलेख, पुरखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है।"

एल0वी0रेडमैन–

"अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास है।"

अनुसंधान विधियाँ :–

अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है–

किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुए शिक्षा सम्बन्धी, मनोविज्ञान सम्बन्धी तथा इतिहास सम्बन्धी अनुसंधान माना है। तो किसी ने उसके उद्देश्य अथवा आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। सामान्य रूप से अधिकांश विद्वान निम्पलिखित वर्गीकरण को मानते हैं–

1. ऐतिहासिक अनुसंधान :–

ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध भूतकाल से होता है यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है।

2. वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान :–

इसका सम्बन्ध वर्तमान से होता है तथा इसके अन्तर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करत हैं।

3. प्रयोगात्मक अनुसंधान :–

इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रुप में दो या दो से अधिक तथ्यों के सम्बन्ध की व्याख्या करना होता है।

शोध का प्रारूप :–

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक होता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग का अन्वेषण भी आवश्यक है। इसके अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव होती है, अतः लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित मार्ग का चयन करके उसका अनुसरण करना पडता है। शोधकर्त्री को भी अपने अनुसंधान कार्य की पूर्ति हेतु उचित मार्ग या विधियों की परम आवश्यकता है उसके अनुसंधान कार्य में मुख्यतः दो विधियाँ प्रयुक्त हुई हैं–

1. ऐतिहासिक विधि :–

इतिहास किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन है जो सम्पूर्ण सत्य के लिए समालोचनात्मक खोज का प्रतिनिधित्व करता है । ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध भूत से होता है। जिसके विश्लेषण के द्वारा भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

एफ0एल0 ह्विटनी –

"ऐतिहासिक अनुसंधान भूत का विश्लेषण करते हैं इसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य और अभिवृत्तियों के आधार पर ऐसी सामाजिक समस्याओं का चिन्तन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है। यह मानव विचारों और क्रियाओं के विकास की दिशा की खेज करता है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं के लिए आधार प्राप्त हो सके।"

ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों के अन्वेषण के लिए प्रमुख रूप से दो साधनों का प्रयोग किया जाता है–

1. प्राथमिक साधन
2. माध्यमिक साधन

1. प्राथमिक साधन :–

इसके अन्तर्गत किसी एक ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित ठोस प्रमाण आरम्भिक तथा सामग्री के रूप में सम्मिलित रहते हैं। जैसे–

(i) संविधान राजलेख

(ii) शिलालेख

(iii) प्रतिलिपियाँ

(iv) विज्ञापन

(v) प्रतिवेदन

(vi) नीति विज्ञान तथा सदाचार सम्बन्धी साहित्य

(vii) समाचार पत्र

(viii) पत्रिकाएँ

2. माध्यमिक साधन :–

एक व्यक्ति जो एतिहासिक तथ्य के विषय में तातकालिक, घटना से सम्बन्धित व्यक्ति के मुंह से सुने सुनाये वर्णन को अपने शव्दों व्यक्त करता है ऐसे वर्णन को माध्यमिक साधन कहते हैं। जैसे–भिन्न–भिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सहित्य लेख आदि।

ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व :–

वर्तमान की समस्याओं को हल करने हेतु अतीत के अनुभवों से लाभ उठाना ऐतिहासिक अनुसंधान की उपयोगिता को प्रकट करता है।

शैक्षिक इतिहासकार अतीत के अनुभवों में इतनी रूचि नहीं रखता जितनी की उन तथ्यों में जो वर्तमान एवं विचारणीय समस्याओं के विश्लेषण में परीक्षणीय सामान्यीकरण के आधार पर उपयोगी सिद्ध हो सके।

2. वर्णानात्मक अनुसंधान विधि :–

शिक्षा तथा मनोविज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का सबसे अधिक महत्व है यह बडे व्यापक रूप में प्रयोग में आती है।

मोले के अनुसार–

"वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे, नार्मोटिव सर्वे, स्टेट्स और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि नाम हैं यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियां तथा प्रकियाऐं आती हैं, उददेश्य की दृष्टि से सव लगभग

समान होती है अर्थात् अध्ययन से सम्बन्धित विषय के स्तर का निर्धारण करना।"

वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार :–

विद्वानों ने इसका अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया है। जिसमें वान डैलेन का वर्गीकरण तर्क संगत दिखाई पडता है उनके अनुसार वर्गीकरण निम्नवत् है–

(A) सर्वेक्षण अध्ययन

(B) अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन

(C) विकासात्मक अध्ययन

(A) सर्वेक्षण अध्ययन :–

समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार, उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ सभी सर्वेक्षण करत हैं। ये वर्तमान किया के सार्थकता सिद्ध करने अथवा वर्तमान किया में सुधार के लिए वर्तमान दशा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करते हैं।

सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार :–

सर्वेक्षण अध्ययन अनेक प्रकार का हो सकता है। मुख्य निम्नलिखित हैं–

1. विद्यालय सर्वेक्षण
2. कार्य विश्लेषण
3. प्रलेखीय विश्लेषण
4. जनमत सर्वेक्षण
5. समुदाय सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के साधन अथवा उपकरण :-

सर्वेक्षण में सूचनाएं निम्नलिखित उपकरणों द्वारा प्राप्त करत हैं-

1. निरीक्षण
2. प्रश्नवाली
3. साक्षात्कार
4. मानव परीक्षा
5. प्राप्तांक पत्र
6. मूल्यांकन मापदण्ड आदि

(B) अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन :-

अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता केवल वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण ही नहीं करता अपितु वह उन तत्वों को ढूंढ़ने का प्रयास भी करता है। जो घटनाओं के सम्बन्ध के विषय में सूझ प्रदान कर सके।

(C) विकासात्मक अध्ययन :-

विकासात्मक अध्ययन का सम्बन्ध केवल वर्तमान स्थित एवं पारस्परिक सम्बन्ध को ही स्पष्ट करना ही नहीं है, अपितु इस तथ्य को भी स्पष्ट करना है कि समय व्यतीत होने के साथ क्या परिवर्तन आते हैं ? इस प्रकार के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता महीनों एवं वर्षों तक चरों के विकास का अध्ययन करता है।

- किसी भी अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले उसके इतिहास का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करे, फिर उसके वर्तमान स्तर का निर्धारण वर्णनात्मक विधि से करे। अतैव शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध कार्य में ऐतिहासिक विधि एवं वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण अध्ययन विधि को अपनाया है।
- हमारा वर्तमान अतीत के द्वारा ही परिचालित है अतः वर्तमान समस्याओं का निराकरण अतीत से खोजा जा सकता है। इसलिए वर्तमान के अध्ययन हेतु अतीत का अवलोकन करना पडता है। जिसका मूल कारण समाज एवं शिक्षा द्वारा पनपी दिग्भागिता है। अतः आज फिर साम्प्रदायिकता की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। अतः अध्ययन के लिए ऐतिहासिक विधि प्रयुक्त की गयी।
- साम्प्रदायिकता की समस्या केवल प्राचीन समस्या ही नहीं, अपितु यह तो वर्तमान समय की ज्वलन्त समस्या है, जिसका प्रभाव सामाजिक परिवेश के साथ–साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। अतः साम्प्रदायिकता के कारण एवं उसके निराकरण के विषय में शिक्षकों की क्या विचारधारा है। इसको जानने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

3.2 न्यादर्श–

न्यादर्श समूचे इकाई समूह (जनसंख्या) में से चुनी गई इकाईयों का समूह है। लेकिन यह बहुत ही व्यापक परिभाषा है। इसे अधिक सार्थक बनाने के लिए यह कहा जा सकता है। कि न्यादर्श समूचे इकाई समूह में से चुनी गई कुछ ऐसी इकाईयों का समूह है जो समूचे इकाई समूह का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व करें।

करलिंगर के अनुसार–

" किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीवसंख्या या समष्टि के प्रतिनिधित्व के रूप में किसी भी संख्या का चयन न्यादर्श कहलाता है।"

न्यादर्श की विशेषताएं :–

शोध प्रणाली में न्यादर्श का अपना विशिष्ट स्थान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. न्यादर्श प्रणाली में प्रतिनिधित्व पूर्व इकाईयों का अध्ययन किया जाता है जिससे सम्पूर्ण पर व्यय करने वाले समय की बचत हो जाती है।
2. इकाईयों की मात्रा कम होने से धन की भी बचत होती है।
3. कम इकाईयां होने से अधिक गहनता से अध्ययन होता है।
4. सूचना शुद्ध होने से निष्कर्ष भी सही आता है।
5. कम इकाईयां होने से प्रशासन में सुविधा होती है।
6. निरीक्षण पर संगठन करने में भी सरलता होती है।
7. न्यादर्श के द्वारा सर्वेक्षण ज्यादा सुविधा जनक होता है।

न्यादर्श की विधियाँ–

न्यादर्श में प्रतिनिधित्व एवं प्रर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यादर्श की किया को विशिष्ट विधियों द्वारा ज्ञात करना चाहिए। इन न्यादर्श विधियों को हग दो मुख्य भागों में बाँट सकते हैं–

1. संभाव्यता न्यादर्श
2. असंभाव्यता न्यादर्श

1. संभाव्यता न्यादर्श :–

जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करें। तो उस चयन विधि को संभाव्यता न्यादर्श कहते हैं। चयन संयोग पर तब निर्भर करता है जब किसी भी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करना या न करना मानव निर्णय पर ही निर्भर हो। संभाव्यता न्यादर्श में कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट इकाई को अपनी इच्छानुसार न्यादर्श में रख सकता है। इस न्यादर्श में नहीं रख सकता है। इस न्यादर्श प्रकिया के किसी न किसी स्तर पर चयन संयोगवश होता है।

संभाव्यता न्यादर्श के अनेक प्रकार हैं किन्तु यहाँ निम्नलिखित मुख्य प्रकारों का चयन किया जायेगा–

(क) यादृच्छिकी न्यादर्श

(ख) यादृच्छिका संख्या– सारणी का प्रयोग

(ग) स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श

(घ) गुच्छ न्यादर्श

(ड.) द्विशः न्यादर्श

(च) कमबद्ध न्यादर्श

(क) यादृच्छिकी न्यादर्श :–

यादृच्छिक न्यादर्श प्रकिया में समष्टि (जनसंख्या) की इकाईयां कमांकित कर ली जाती है। इकाईयों को इस प्रकार लिखना ढ़ाँचा तैयार करना कहलाता है। इस न्यादर्श में ढ़ाँचा तैयार करना ही सबसे कठिन कार्य है। यादृच्छिक न्यादर्श सबसे सरल प्रकार का एवं कठोरता पूर्वक निर्धारित न्यादर्श

है और न्यादर्श की अधिकांश जटिल प्रणालियों का आधार है। इसकी विधियां निम्नलिखित हैं–

1. लाटरी विधि
2. टिपेट की अंक विधि
3. निश्चित कम विधि

(ख) यादृच्छिका संख्या– सारणी का प्रयोग :–

इस प्रणाली का निर्माण टिपेट एवं फिशर ने अलग–अलग किया है। इसमें 5–5 के वर्गाकार खण्डों में अंक यादृच्छिक कम में लिखे जाते हैं।

(ग) स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श :–

जब इकाईयाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं तो वहाँ स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श लिया जाता है। यादृच्छिक न्यादर्श का संशोधित रूप ही स्तरीकृत न्यादर्श है।

(घ) गुच्छ न्यादर्श :–

कभी–कभी न्यादर्श की इकाईयाँ चर की प्राकृतिक इकाईयाँ न होकर उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं। न्यादर्श की इस विधि में इन गुच्छों का ही ढांचा बनाया जाता है और इन ढांचे में से यादृच्छिकी न्यादर्श चुना जाता है । चुने गये गुच्छों में पडने वाली प्रत्येक स्वाभाविक इकाई का अध्ययन किया जाता है। लेकिन चुने गये गुच्छें की प्रत्येक इकाई का अध्ययन आवश्यक नहीं है। गुच्छे की इकाईयों का ढाँचा बनाकर उसमें से आवश्यक संख्या में इकाईयों का यादृच्छिकी चयन किया जा सकमत है।

(ङ) द्विश न्यादर्श :–

जब कभी जनसंख्या में स्तरीकरण के लिए कोई आधार ज्ञात नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मुख्य चर से सम्बन्धित किसी चर के लिए न्यादर्श कर लिया जाता है। यह न्यादर्श अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इस बड़े न्यादर्श में सम्बन्धित चर का आवृत्ति वितरण पढ़कर उसे स्तरीकृत कर लिया जाता है। यह न्यादर्श अपेक्षाकृत छोटा होता है। इस छोटे न्यादर्श में मुख्य चर का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार छोटे न्यादर्श को चुनने की प्रक्रिया को द्विश न्यादर्श कहते हैं।

(च) क्रमबद्ध न्यादर्श :–

इस न्यादर्श में पहले न्यादर्श का आकार एवं जनसंख्या के आकार का अनुपात निश्चित कर लिया जाता है। माना यह अनुपात 1:20 है अर्थात् 50 प्रतिशत का न्यादर्श लेना है। जब इकाईयों का ढाँचा तैयार कर लिया जाता है। और 1–20 तक के क्रमांक में से यादृच्छिक चयन विधि से कोई इकाई चुन ली जाती है। उस इकाई के क्रमांक से 20–20 के अन्तर पर समूचे ढाँचे में से अन्य इकाइयाँ चुनी जाती हैं।

(2) असम्भाव्यता न्यादर्श :–

असम्भाव्यता न्यादर्श भी चयन की प्रचलित पद्धति है। इस विधि में शोधार्थिनी अपने विवेक से इकाईयों का चयन करता है। किन्तु न्यादर्श को प्रतिनिधि एवं पर्याप्त बनाने कके लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञानों का उपयोग करता है।

असम्भाव्यता न्यादर्श में निम्नलिखित मुख्य है–

(क) अंश न्यादर्श

(ख) सोद्देश्य न्यादर्श

(ग) आकस्मिक न्यादर्श

(क) अंश न्यादर्श :–

अंश न्यादर्श में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार किया जाता है, जैसी स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श में किन्तु अन्वेषण प्रत्येक स्तर से आवश्यक अंश (कोटा) में इकाईयों का चुनाव अपने विवेक से करता है।

(क) सोद्देश्य न्यादर्श :–

सोद्देश्य न्यादर्श का अर्थ है इकाईयों के समूहों की एक संख्या का इस प्रकार चयन करना कि चुने हुए समूह मिलकर उन विशेषताओं का औसत या अनुपात समान हो जो उसके कम में हो।

(क) आकस्मिक न्यादर्श :–

आकस्मिक न्यादर्श में जो कोई भी इकाई सुविधा पूर्वक उपलब्ध होती है, उसका अध्ययन कर लिया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में हमीरपुर जनपद के 10 माध्यमिक विद्यालय लिया गया है इन विद्यालयों से 50 पुरूषों शिक्षक और 50 महिला शिक्षिकाओं का चयन किया गया । न्यादर्श का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श तकनीक (Purposive Sampling Technique) के आधार पर किया गया है।

न्यादर्श का विवरण सारिणी–3.1 में प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी–3.1

न्यादर्श में लिये गये माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षक, शिक्षिकाओं का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	योग
1.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज भरूआ सुमेरपुर	02	10	12
2.	श्री गायत्री विद्या मन्दिर बालिका इण्टर कालेज भरूआ सुमेरपुर	03	10	13
3.	श्री गायत्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज भरूआ सुमेरपुर	10	02	12
4.	सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज हमीरपुर	10	03	13
5.	श्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज हमीरपुर	10	02	12
6.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज हमीरपुर	02	10	12
7.	श्री परमहंस बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज सुमेरपुर	03	04	07
8.	श्री मौनी बाबा इण्टर कालेज मिहुना मुण्डेरा	04	03	07
9.	श्री राजकीय बालिका इण्टर कालेज हमीरपुर	03	02	05
10.	सरदार पटेल बालिका इण्टर कालेज हमीरपुर	03	04	07
	योग	50	50	100

3.3 उपकरण :—

किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन तथा अज्ञात प्रदत्त संकलित करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान के लिए नवीन प्रदत्त संकलित करने हेतु अथवा नवीन क्षेत्रों का उपयोग करने हेतु कतिपय यन्त्रों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। यन्त्रों को उपकरण कहते हैं।

अन्वेषण प्रपत्र :—

1. प्रश्नावली
2. अनुसूची
3. चिह्मंकन सूची
4. निर्धारण मापनी
5. प्राप्तांक पत्र
6. मतावली अथवा अभिवृत्ति मापनी

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी ने एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग दिया है (परिशिष्ट–1) ।

विभिन्न विद्वानों से विचार विमर्श करने तथा निर्देशक महोदय के निर्देशानुसार प्रश्नावली तैयार की गयी। प्रश्नावली द्वारा **हमीरपुर** जनपद के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों से साम्प्रदायिकता के कारणों एवं उसके निराकरण सम्बन्धी विचारों को जाना गया।

प्रश्नावली छोटे–छोटे प्रश्नों की एक सूची है जो उत्तरदाताओं को उत्तर हेतु दे दी जाती है और उनके द्वारा दिये गये उत्तरों के आलोक में आवश्यक सूचनायें प्राप्त की जाती है।

गुडे तथा हैट के अनुसार :–

"सामान्यत: प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक तालिका का व्यवहार किया जाता है, जिसकी पूर्ति स्वयं उत्तरदाता करता है।"

बार डेविस तथा जॉन्सन :–

"प्रश्नावली प्रश्नों का व्यवस्थित संग्रह है जिसे एक निर्देशित जनसंख्या को उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है।"

प्रश्नावली के द्वारा उन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध नहीं किया जा सकता।

प्रश्नावली के लक्षण :–

1. अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय एवं वैध होती है।

2. अच्छी प्रश्नावली का व्यवस्थापन, सारणीयन, सांख्यकीय विश्लेषण सुविधा जनक होता है।

3. प्रश्नों का कम सुगम से कठिन तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।

4. पर्याप्त समय मिलने से व्यक्ति सोच विचार कर उचित उत्तर देते हैं।

5. प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे उत्तरदाता क्षुब्ध न हो उठे।

प्रश्नावली निर्माण के लिए उपयोगी संकेत :–

अच्छी प्रश्नावली के निर्माण के लिए कुछ उपयोगी संकेत निम्न हैं–

1. अन्य प्रश्नावलियों का अध्ययन करना तथा उत्तम प्रश्नावली के लक्षणों को दृष्टिगत रखना चाहिए।

2. समस्त सम्भव स्त्रोतों से सहायता प्राप्त करना तथा अपनी प्रश्नावली की योजना बनाने तथा उसके निर्माण हेतु पूर्ण तैयारी करना चाहिए।

3. प्रश्नावली के प्रश्नों को अपने मित्र तथा सहयोगियों के समक्ष आलोचना हेतु प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रश्नावली प्रारूप :–

प्रश्नावली का निर्माण करते समय यह अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रश्न स्पष्ट हों जिससे उत्तरदाता पूर्णतः प्रश्न को समझ कर उत्तर दे सके।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोधकर्ता ने निम्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया है–

1. क्या आप धर्म में विश्वास करते हैं ?
2. क्या आपके अन्य सम्प्रदाय के लोगों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं ?
3. क्या आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं ?
4. सब धर्म समान हैं क्या आप इससे सहमत हैं ?
5. क्या आप जाति प्रथा पर विश्वास रखते हैं ?
6. क्या आप सहमत हैं कि साम्प्रदायिक दंगे धर्म के नाम पर हो रहे हैं ?
7. क्या आपके विचार में धर्म को राजनीति से जोडना उचित है ?

3.4 उपकरण का प्रशासन :–

प्रदत्त संकलन के लिए निर्धारित 10 माध्यमिक विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में जाकर शोधार्थिनी ने व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली को भरवाया।

शिक्षक–शिक्षिकाओं को प्रश्नावली भरने सम्बन्धी निर्देश देकर उनसे उत्तरों को प्राप्त किया। तत्पश्चात् उन सभी को एकत्रित कर उनका अंकन किया गया।

3.5 प्रदत्त विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है जिसमें मध्यमान, मानक विचलन, सह–सम्बन्ध आदि का प्रयोग किया गया। साम्प्रदायिकता की भावना का पुरूष व महिला शिक्षकों के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक ज्ञात किया गया है।

सह–सम्बन्ध गुणांक का सूत्र है–

$$r = \frac{\sum XY}{\sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

जहां,

r = सहसम्बन्ध

X = $x - Mx$

Mx = $\frac{\sum x}{N}$

Y = $y - My$

My = $\frac{\sum y}{N}$

सहसम्बन्ध गुणांक एक अनुपातिक संख्या है, जिसका मान –01.00 से +1. 00 के बीच होता है। सहसम्बन्ध गुणांक का चिन्ह सहसम्बन्ध के प्रकार को तथा परिमाण सहसम्बन्ध की मात्रा को व्यक्त करता है। सहसम्बन्ध गुणांक जितना अधिक होता है। दो चरों के बीच सहसम्बन्ध उतना ही अधिक पुष्ट होता है।

चतुर्थ अध्याय

(परिणाम व विवेचन)

चतुर्थ अध्याय

परिणाम व विवेचन

किसी समस्या कस वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने का तात्पर्य संकलित समंकों का क्रमबद्ध अवलोकन , वर्गीकरण तथा निर्वाचन करना है। हमारे प्रतिदिन के निष्कर्ष तथा वैज्ञानिक अध्ययन की विधियों में मुख्य उत्तर उसके सत्य दृढ़ता तथा सत्यापन किये जाने की शाक्ति, योग्यता तथा विश्वसनीयता आदि में हैं।

प्रदत्त को **गैरिट** महोदय ने इस प्रकार परिभाषित किया है–
"प्रदत्त वह अंकसूची तथा वर्णानात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है।"

"साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों का अध्ययन व उनके निराकरण में शिक्षकों का योगदान" सम्बन्धी प्रदत्तों को संकलित किया गया है।

इन प्रदत्तों को ज्ञात करने के लिए शोधार्थिनी ने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के 100 सैम्पल है जिसमें उपरोक्त सारिणी 3.1 में दिया जा चुका है।

इस अध्याय में " साम्प्रदायिकता भावना प्रश्नावली" में पूछे गये 35 प्रश्नों अथवा कथनों का कथनसह (Statementwise) विवेचन किया गया है साथ ही शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा लिये गये उत्तरों के मध्य सहसम्बन्ध ज्ञात किया गया है।

सारिणी 4.1 में पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं के कथनसह पूर्णांक प्रदर्शित किये गये हैं–

सारिणी—4.1

कथनसह (Statementwise) शिक्षक—शिक्षिकाओं के प्राप्तांक

कथन/प्रश्न संख्या	शिक्षकों के प्राप्तांक x	शिक्षिकाओं के प्राप्तांक y
1	45	47
2	38	45
3	50	50
4	40	42
5	35	32
6	36	33
7	49	47
8	35	37
9	36	34
10	49	48
11	45	40
12	40	36
13	46	44
14	8	10
15	5	8
16	7	5
17	48	46
18	37	40
19	4	7
20	5	6
21	0	0
22	40	35
23	45	42
24	46	42
25	48	47
26	40	36
27	13	17
28	7	10
29	50	50
30	50	50
31	8	11
32	32	34
33	25	29
34	50	50
35	0	0

जब शिक्षक और शिक्षिकाओं से यह पूछा गया कि क्या आप धर्म में विश्वास रखते हैं ? इसके उत्तर में 50 में से 45 शिक्षकों ने कहा वे हाँ रखते हैं जबकि 50 में से 47 शिक्षिकाओं ने कहा धर्म में विश्वास रखती हैं। अतः स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षिकाओं में धार्मिक विश्वास की भावना अधिक होती है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 38 पुरुष शिक्षक प्रतिदिन पूजा करते हैं जबकि 50 में से 45 महिला शिक्षिकाऐं प्रतिदिन पूजा रिती हैं यहाँ भी पहले कथन के समर्थक में महिलाऐं नित्य पूजा–पाठ करती हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 50 पुरूष शिक्षक अन्य सम्प्रदाय के लोगों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं जबकि 50 में से 50 महिला शिक्षिकाऐं अन्य सम्प्रदायों के लोगों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं यहाँ पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षिका के बीच कोई अन्तर नहीं है। कि साम्प्रदायिकता एक वैमनस्य रूप में है जो कि हर धर्म के लोगों को सम्मान एवं एक भावना के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 40 पुरूष शिक्षक और 50 में से 42 महिला शिक्षक उनके परिवार के लोग इस सम्बन्ध पर आपत्ति करते हैं। अतः इन शिक्षकों के बीच में परिवार के लोग अन्य सम्प्रदाय के लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करने पर अवरोद्ध उत्पन्न करते हैं।

सारिणी 4.1 के कथन संख्या 5 से स्पष्ट है कि 50 में से 35 पुरूष शिक्षक और 50 में से 32 महिला शिक्षिकाओं का अन्य धर्मों के उत्सवों में भाग लेते हैं इसमें हर धर्म के अलग उत्सव मनाये जाने वाले त्योहार जैसे– मुस्लिम, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई आदि के अलग होते हैं

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरुष शिक्षक 50 में से 36 तथा महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 33 उनके उत्सवों में भाग लेते हैं और उनके साथ बैठकर भोजन करना पसन्द है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 49 पुरूष शिक्षक और 50 में से 47 महिला शिक्षिकाऐं जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें भारत देश में कोई भी धर्म को एक समान सम्मान और अधिकार प्राप्त है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 35 पुरूष शिक्षक और 50 में से 37 महिला शिक्षिकाओं ने नये राज्यों का गठन हो जिससे अपने देश का और भी विकास हो अभी हाल ही में तेलंगना नया राज्य 2 जून, 2014 को गठित हुआ। जो आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगना राज्य की राजधानी हैदराबाद है जिसके प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं– " के0 चन्द्रशेखर राव " । राज्य के गठन होने छोटी– सी –छोटी सुविधाऐं मिल सकें।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 36 पुरूष शिक्षक और 50 में से 34 महिला शिक्षिकाओं ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक राष्ट्रीय मूल्य के रूप में माना है इस बात को स्वीकार किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो उपर्युक्त प्रश्न संख्या 7 पर विचार किया गया है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि 50 में से 49 पुरूष शिक्षकों और 50 में से 48 महिला शिक्षिकाओं ने सर्वधर्म समान है इस बात को स्वीकार किया है सभी धर्मो को एक रूपता प्रदान की गई है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट कि 50 में से 45 पुरूष शिक्षकों तथा 50 में से 40 महिला शिक्षिकाओं ने लोकतंत्र और समाजवाद शब्द से परिचित हैं। लोकतंत्र के विषय में अमेरिका राष्ट्रपति **अब्राहम लिंकन ने कहा है कि –**

" लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो।"

लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। लोकतंत्र दो सिद्धान्तों पर आधारित है–

1. मानव व्यक्तित्व अनन्त मूल्य एवं महत्व का ।
2. यह विश्वास कि मनुष्य अपने कार्यों को संभालने या करने के योग्य होते हैं।

इसी प्रकार 'समाजवाद' शब्द का अर्थ है–समाज की रचना मनुष्य ने की है। समाज का आधार मनुष्य की अन्तः कियाऐं हैं ये अन्तः कियाऐं सदैव परिवर्तित होता रहता है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि रोज रेडियो और टेलीविजन खबरें सुनते हैं जिसमें पुरूष शिक्षकों 50 में से 40 है जबकि महिला शिक्षिकाऐं 50 में से 36 हैं यहाँ पर देखने को मिलता है कि पुरूष शिक्षक की अपेक्षा महिला शिक्षिकाऐं कम पढ़ती हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि रोज समचार पत्र पढ़ने वाले पुरूष शिक्षका 50 में से 46 हैं जबकि 50 में से 44 महिला शिक्षिकाऐं हैं यहाँ पर स्पष्ट होता है कि रोज समाचार पत्र पढ़ने वाले पुरूष शिक्षक महिला शिक्षिकाओं से ज्यादा पढ़ते हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा में विश्वास करने वाले पुरूष शिक्षक 50 में से 08 हैं जबकि महिला शिक्षिकाऐं 50 में से 10 जाति प्रथा में विश्वास करते हैं अतः पुरूष शिक्षक महिला शिक्षिकाओं से कम जाति प्रथा पर विश्वास रखते हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 50 तथा महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 08 इस बात पर सहमत है कि जाति वर्गों में विभाजित हैं। यहाँ पर उपर्युक्त कथन पर जाति प्रथाओं में विश्वास रखने वाले हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 07 तथा महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 05 इस बात पर सहमत हैं कि जाति वर्गों में विभाजित करने पर इन वर्गों में संघर्ष होता है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 48 तथा 50 में से 46 महिला शिक्षिकाऐं हैं जो साम्प्रदायिक दंगों से व्यक्ति के सार्वजनिक विकास पर अवरोद्ध होता है। साम्प्रदायिक दंगों में जाति वर्ग, लव जिहाद आदि जैसे दंगे होते रहते हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि बहु चर्चित रामजन्म भूमि और बावरी मस्जिद का विवाद एक धार्मिक कारण में पुरूष शिक्षकों में 50 में से 37 जबकि महिला शिक्षिकाऐं 50 में से 40 इस कारण को माना है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से और महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 07 इस कथन पर है कि भाषा व क्षेत्रफल के आधार पर नये राज्यों का गठन होना चाहिए।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 05 जबकि महिला शिक्षिकाऐं 50 में से 06 ही हैं जो राजनीतिक व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं क्योंकि पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को देखकर सन्तुष्ट नहीं है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 00 तथा महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 00 हैं जो अर्थात कोई नहीं इस बात से सहमत है कि उनके विचारों में धर्म को राजनीतिक से जोड़ना जाये।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 40 जबकि महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 35 हाँ कहा हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में सुधार होने चाहिए। कोई भी राजनीतिक नेता जिस पद को चुना गया उस पद पर रहकर काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था सुधर सकती है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 45 जबकि महिला शिक्षिकाऐं 50 में से 42 है जो 6 दिसम्बर 1992 हुए दगें के बारे में जानते हैं इसी प्रकार पुरूष शिक्षक महिला शिक्षिका की अपेक्षा अधिक जानते हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 46 है जबकि महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 42 हैं जो गोधरा काण्ड के बारे में जानती हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 48 है जबकि महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 47 हैं जो अयोध्या व बावरी मस्जिद और गोधरा काण्ड जैसे मामलों में लोगों को हुई हानि को मानते हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 40 जबकि 50 में से 36 महिला शिक्षिकाऐं हैं जो यू0पी0 के विभिन्न नगरों में दंगों का कारण धार्मिक माना है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 13 है जबकि महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 17 हैं जो इन दंगों के बाद किसी क्षेत्र का जायजा लेने के लिए कोई राजनीतिक नेताओं ने सम्पर्क लेने पर इस विषय पर सहमती दी है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि आजकल विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा पर सुधार करने की जरूरत है इस विषय पर पुरूष शिक्षकों ने 50 में से 07 तथा महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 10 लोगों ने हाँ कहा है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से साम्प्रदायिक दंगों में कमी लायी जा सकती है इस प्रश्न के पूछने पर पुरूष शिक्षकों 50 में से 50 तथा महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 50 इस बात पर सहमत हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षक 50 में से 08 तथा महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 11 सर्वधर्म समान की शिक्षा विद्यालयों शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाये।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षकों में 50 में से 08 जबकि महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 04 ने देश के राष्ट्रीय मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा प्रजतंत्र आदि जैसे शब्दों से परिचित हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र को स्थापित किया जा सकता है। इस प्रश्न के पूछे जाने पर पुरूष शिक्षक 50 में से 32 जबकि महिला शिक्षिकाओं ने 50 में से 04 इस प्रश्न स0 सहमती दी है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि गोष्ठियों व रैलियों के आयोजन से सम्प्रदायवाद को दूर किया जा सकत है इस प्रश्न के पूछे जाने पर पुरूष शिक्षकों में 50 में से 25 जबकि महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 29 हाँ है। इससे पता चलता है कि पुरूष शिक्षक महिला शिक्षिकाओं की अपेक्षा कम हैं।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ने आपको कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं। प्रश्न के पूछे जाने पर पुरूष शिक्षकों में 50 में से 50 जबकि महिला शिक्षिकाओं में 50 में से 50 हाँ । कि उन्हें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मालूम है।

सारिणी 4.1 से स्पष्ट है कि पुरूष शिक्षकों तथा महिला शिक्षिकाओं ने इस प्रश्न को उत्तर देने को मना कर दिया। प्रश्न कथन है क्या आपके विचार से जनता इन अधिकारों का उपयोग उचित रूप से कर रही है?

उपर्युक्त प्रश्न संख्या/ कथनसह से शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के बीच सहसम्बन्ध अभिव्यक्ति अच्छा है ।

सारिणी 4.2

शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक की गणना

	X	X	X^2	y	Y	Y^2	XY
1	45	13.22	174.7	47	15.28	233.48	202.0016
2	38	6.22	38.69	45	13.28	176.36	82.61
3	50	18.22	331.97	50	18.28	334.16	333.07
4	40	8.22	67.57	42	10.28	105.68	84.51
5	35	3.22	10.37	32	0.28	0.08	0.9016
6	36	4.22	214.81	33	1.28	1.64	5.41
7	49	17.22	296.53	47	15.28	233.48	263.13
8	35	3.22	10.37	37	5.28	27.88	17.0016
9	36	4.22	17.81	34	2.28	5.20	9.63
10	49	17.22	296.53	48	16.28	265.04	280.35
11	45	13.22	174.77	40	8.28	68.56	109.47
12	40	8.22	67.57	36	4.28	18.32	35.19
13	46	14.22	202.21	44	12.28	150.80	174.63
14	8	−23.78	565.49	10	−21.72	471.76	516.51
15	5	−26.78	717.17	8	−23.72	562.64	635.23
16	7	−24.78	614.05	5	−26.72	713.96	662.13
17	48	16.22	263.09	46	14.28	203.92	231.63
18	37	5.22	27.25	40	8.28	68.56	43.23
19	4	−22.78	771.73	7	−24.72	611.08	686.73
20	5	−26.78	717.17	6	−25.72	661.52	688.79
21	0	−31.78	1009.97	0	−31.72	1006.16	1008.07
22	40	8.22	67.57	35	3.28	10.76	26.97
23	45	13.22	174.77	42	10.28	105.68	135.91
24	46	14.22	202.21	42	10.28	105.68	146.19
25	48	16.22	263.09	47	15.28	233.48	247.85
26	40	8.22	67.57	36	4.28	18.32	35.19
27	13	−18.78	352.69	17	−14.72	216.68	276.45
28	7	−24.78	614.05	10	−21.72	471.76	538.23
29	50	18.22	331.97	50	18.28	334.16	333.07
30	50	18.22	331.97	50	18.28	334.16	333.07
31	8	−23.78	565.49	11	−20.72	429.32	492.73
32	32	0.22	0.05	4	2.28	5.20	0.5016
33	25	−6.78	45.97	29	−2.72	7.40	18.45
34	50	18.22	331.97	50	18.28	334.16	333.07
35	0	−31.78	1009.97	0	−31.72	1006.16	1008.07
	Σx=1112		ΣX^2=10752.23	Σy=1110		ΣY^2=9533.2	ΣXY=9995.9764

$$Mx = \frac{\sum Mx}{N} = 31.78$$

$$My = \frac{\sum Mx}{N} = 31.72$$

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि–

उपर्युक्त प्रस्तुत सारिणी को कार्ल पियरसन के सह–सम्बन्ध (Correlation) गुणांक के माध्यम से हल किया जायेगा।

$$r = \frac{\sum XY}{\sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

जहाँ –

r = सहसम्बन्ध

$X = x\text{-}Mx$

$$Mx = \frac{\sum Mx}{N}$$

$Y = y\text{-}My$

$$My = \frac{\sum My}{N}$$

x = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षकों से पूँछें गये प्रश्नों के उत्तर।

$\sum x$ = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षकों से पूँछे गये सभी प्रश्नों के उत्तरों का योग।

N = प्रश्नों की संख्या।

Mx = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षकों से पूँछे गये सभी प्रश्नों के उत्तरों का माध्य।

X = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षकों से पूँछे गये प्रश्नों के उत्तर तथा उनके माध्य का अन्तर।

y = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षिकाओं से पूँछें गये प्रश्नों के उत्तर।

$\sum y$ = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षिकाओं से पूँछे गये सभी प्रश्नों के उत्तरों का योग।

N = प्रश्नों की संख्या।

My = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षिकाओं से पूँछे गये सभी प्रश्नों के उत्तरों का माध्य।

Y = प्रकरण से सम्बन्धित शिक्षिकाओं से पूँछे गये प्रश्नों के उत्तर तथा उनके माध्य का अन्तर।

$\sum XY$ = X तथा Y का आपस में गुणा करने के पश्चात् सभी पदों का योग।

$\sum X^2$ = X का वर्ग करने के पश्चात् सभी पदों का योग।

$\sum Y^2$ = Y का वर्ग करने के पश्चात् सभी पदों का योग।

अतः–

$$r = \frac{\sum XY}{\sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

$$r = 0.99$$

उपर्युक्त गणना से ज्ञात होता है कि पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं की साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति के मध्य प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक 0.99 है जो लगभग पूर्ण सह–सम्बन्ध है। हम कह सकते हैं कि पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षकों की साम्प्रदायिक भावना के मध्य उच्च सह–सम्बन्ध पाया जाता है।

पंचम् अध्याय

(निष्कर्ष एवं सुझाव)

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष–

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिकता की भावना किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से सम्पन्न हुई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म की बुराई करता है जिससे साम्प्रदायिक दंगें बढ़ते हैं और धन एवं जन की हानि होती है।

आज साम्प्रदायिकता का मुख्य कारण राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्येक राजनेता धर्म को ही अपनी सफलता का आधार मानता है और उसी आधार पर लोगों से सहयोग की मांग करता है।

प्रत्येक समाज में अनेक विचारों एवं निष्ठाओं के शिक्षक– शिक्षिकाओं के विचारों को जानने के लिए प्रश्नावली को आधार बनाया है। औ इसी आधार पर साम्प्रदायिकता की भावना के कारणों एवं उनके निराकरण सम्बन्धी विचारों को सुस्पष्टीकरण कर सामर्थ्यानुससार प्रस्तुत किसा है। अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पुरूष शिक्षकों और महिला शिक्षिकाओं के बीच उच्च्य सहसम्बन्ध की स्वीकृति हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि पुरूष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं के विचार आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज समाज में महिला को पुरूष के बराबर रखा गया जोकि संविधान में भी उल्लेख है।

साम्प्रदायिकता का प्रभाव न केवल समाज पर पडता है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं समाज की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। साम्प्रदायिक दंगों में लव–जिहाद, धर्म–निरपेक्ष आदि जैसे शब्दों का उल्लेख है। लव जिहाद पर आदित्यनाथ का कडा रवइया दिखाई दिया हर न्यूज चैनलों पर कुछ दिन छाया रहा है। इससे जीवन हानि के साथ–साथ सामाजिक विघटन भी होने और शैक्षिक सत्र पर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। परिणामतः शिक्षा जो मानव जीवन को प्रगति के पथ – प्रदर्शित करने का कार्य करती है, वह पक्ष अवरोध का रूप ले लेती है।

अतएव शोधार्थिनी ने अध्ययनोपरान्त कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं-

5.2 सुझाव :-

साम्प्रदायिकता की भावना व्यक्तियों के दिल से दूर करने के लिए सबसे पहले उनको यह याद दिलाना होगा कि वह सबसे पहले इन्सान हैं बाद में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई हैं। जब ईश्वर ने सभी इन्सान को एक जैसा बनाया है। सभी को एक मानव शरीर मिला है जिसका खून एक है। फिर हम क्यों धर्म के आधार पर एक-दूसरे से अपने को अलग समझें।

ऐसा होना चाहिए कि जनता न किसी राजनेता की बातों में ना आकर खुद फैसला करे कि सही क्या है क्योंकि आज के राजनेता आने पद और कुर्सी की रक्षा के लिए तरह-तरह की धर्म आधारित भ्रान्तियाँ फैलाते हैं। कोई अपने को मुस्लिमों का मसीहा बताता है और कोई हिन्दुओं का। अतः इन्सान को चाहिए कि वे अपने विवेक से काम ले।

साम्प्रदायिकता के चंगुल से बाहर लाने का कार्य शिक्षा कर सकती है अतः हम शिक्षा के स्तर को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए।

इसके साथ-साथ साम्प्रदायिकता की सदस्यता के लिए निम्न सुझाव हैं-

1. साम्प्रदायिक संस्थाओं और दलों पर प्रतिबन्ध :-

प्रत्येक शिक्षकों का चाहिए कि वे साम्प्रदायिक संस्थाओं और दलों को समाप्त करने के लिए आवाज उठायें जो कि देश में साम्प्रदायिक भावना विकसित करने में सहयोगी होते हैं।

2. लेखों द्वारा अन्धविश्वास का खण्डन :-

आज समाज के चारो ओर धर्म के नाम पर अन्धविश्वास फैला हुआ है जो व्यक्ति को कट्टर धार्मिक बनाने में सहायक हैं इसलिए शिक्षकों को विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं , अखबारों आदि द्वारा ऐसे लेखों को प्रकाशित करना चाहिए। जिसे पढ़कर लोगों के अन्दर से अन्धविश्वास समाप्त हो सके।

3. सहकारी कमेटियों द्वारा अल्पसंख्यकों को सुविधायें :–

प्रत्येक समाज में शिक्षकों को ऐसी सहकारी कमेटियाँ तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को आसानी से सुविधायें प्राप्त हो सकें।

4. रैलियों एवं गोष्ठियों का आयोजन :–

देश के सभी शिक्षकों को साम्प्रदायिक भेदभाव के खिलाफ रैलियों का आयोजन करके अपने विचारों को व्यक्त कर सके।

5. एकता एवं सद्भावना से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन :–

आज समाज को एवं देश की एकता, सद्भावना की आवश्यकता है ताकि देश एक सूत्र में बंधकर प्रगति की ओर बढ़ सके। इसलिए शिक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे एकता एवं सद्भावना से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन करें जोकि सभी विद्यालयों में पढ़ाई जायें। जिससे विद्यालयों में भी एकता और सद्भावना विकसित हो।

6. विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों से घर–घर जाकर सम्पर्क स्थापित करना :–

आज समाज में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों से घृणा करते हैं और उनके धर्म की आलोचना करते हैं। जिससे आपसयी भेदभाव बढ़ता है जो आगे चलकर साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले लेताा है इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि सभी सम्प्रदाय के लोगों के घर–घर जाकर या पत्र–व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित करें, ताकि एक–दूसरे के विचारों को जान सकें तथा सौहार्द उत्पन्न हो सके।

7. साम्प्रदायिक संस्थाओं और दलों पर प्रतिबन्ध :–

प्रत्येक शिक्षकों का चाहिए कि वे साम्प्रदायिक संस्थाओं और दलों को समाप्त करने के लिए आवाज उठायें जो कि देश में साम्प्रदायिक भावना विकसित करने में सहयोगी होते हैं।

8. लेखों द्वारा अन्धविश्वास का खण्डन :–

आज समाज के चारो ओर धर्म के नाम पर अन्धविश्वास फैला हुआ है जो व्यक्ति को कट्टर धार्मिक बनाने में सहायक हैं इसलिए शिक्षकों को

विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं , अखबारों आदि द्वारा ऐसे लेखों को प्रकाशित करना चाहिए। जिसे पढ़कर लोगों के अन्दर से अन्धविश्वास समाप्त हो सके।

9. सहकारी कमेटियों द्वारा अल्पसंख्यकों को सुविधायें :–

प्रत्येक समाज में शिक्षकों को ऐसी सहकारी कमेटियाँ तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को आसानी से सुविधायें प्राप्त हो सकें।

10.रैलियों एवं गोष्ठियों का आयोजन :–

देश के सभी शिक्षकों को साम्प्रदायिक भेदभाव के खिलाफ रैलियों का आयोजन करके अपने विचारों को व्यक्त कर सके।

11.एकता एवं सद्भावना से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन :–

आज समाज को एवं देश की एकता, सद्भावना की आवश्यकता है ताकि देश एक सूत्र में बंधकर प्रगति की ओर बढ़ सके। इसलिए शिक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे एकता एवं सद्भावना से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन करें जोकि सभी विद्यालयों में पढ़ाई जायें। जिससे विद्यालयों में भी एकता और सद्भावना विकसित हो।

12.विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों से घर–घर जाकर सम्पर्क स्थापित करना :–

आज समाज में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों से घृणा करते हैं और उनके धर्म की आलोचना करते हैं। जिससे आपसयी भेदभाव बढ़ता है जो आगे चलकर साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले लेताा है इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि सभी सम्प्रदाय के लोगों के घर–घर जाकर या पत्र–व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित करें, ताकि एक–दूसरे के विचारों को जान सकें तथा सौहार्द उत्पन्न हो सके।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

साम्प्रदायिकता भावना प्रश्नावली

निर्देश :–

प्रस्तुत प्रश्नावली में साम्प्रदायिकता की समस्या से सम्बन्धित प्रश्न पूँछे गये हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हाँ/नहीं में दिये हैं। प्रश्नों के उत्तर सोंच विचार कर सत्य ही दीजिए। जितना ही सही व स्पष्ट उत्तर देंगे उतना ही समस्या का अध्ययन करने तथा उसका समाधान निकालने में हमें सहायता मिलेगी। आप के द्वारा दी गयी सूचना पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।

नाम–...

विद्यालय का नाम–..

लिंग–...

क0सं0	प्रश्न	हाँ	नहीं
1.	क्या आप धर्म में विश्वास रखते हैं ?		
2.	क्या आप प्रतिदिन पूजा करते हैं ?		
3.	क्या आपके अन्य सम्प्रदाय के लोगों से मित्रता पूर्ण सम्बन्ध हैं ?		
4.	क्या आपके परिवार के लोग इस सम्बन्धों पर कोई आपत्ति करते हैं ?		
5.	क्या आप इनके उत्सवों में भाग लेते हैं ?		
6.	यदि हाँ, तो इनके उत्सवों के अवसर		

	पर उनके साथ बैठकर भोजन करना पसन्द करते हैं ?		
7.	क्या आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ?		
8.	क्या आप चाहते हैं नये राज्यों का गठन हो ?		
9.	क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक राष्ट्रीय मूल्य के रूप में माना गया है ?		
10.	सर्वधर्म समान है इससे आप सहमत हैं।		
11.	क्या आप लोकतंत्र, समाजवाद शब्द से परिचित हैं ?		
12.	क्या आप रोज रेडियो और टेलीविजन पर खबरें सुनते हैं ?		
13.	क्या आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं ?		
14.	क्या आप जाति प्रथा में विश्वास करते हैं ?		
15.	यदि हॉं, तो क्या आप जाति वर्गों में विभाजित है ?		
16.	यदि हॉं, तो इन वर्गों में आपस में संघर्ष होते हैं।		
17.	क्या आप जानते हैं कि साम्प्रदायिक दंगों से व्यक्ति के सार्वजनिक विकास अवरूद्ध होते हैं ?		

18.	क्या आप जानते हैं कि बहुचर्चित रामजन्म भूमि व बावरी मस्जिद विवाद का कारण धार्मिक था ?		
19.	भाषा व क्षेत्रफल के आधार पर नये राज्यों का गठन होना चाहिए।		
20.	क्या आप देश की राजनीतिक व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं ?		
21.	क्या आपके विचारों में धर्म को राजनीति से जोड़ना उचित है ?		
22.	क्या आप राजनीतिक व्यवस्था पर अपने कोई सुझाव देना चाहेंगे ?		
23.	क्या आप 6 दिसम्बर 1992 को हुए दंगें के बारे में जानते हैं ?		
24.	क्या आप गोधरा कांड के बारे में जानते हैं ?		
25.	क्या इन दंगों से लोगों को किसी प्रकार की हानि हुई है ?		
26.	यू0पी0 के विभिन्न नगरों में दंगों का कारण धार्मिक था ?		
27.	दंगों के बाद क्या आपके क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं ने आपसे सम्पर्क किया ?		
28.	क्या आजकल विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने की जरूरत		

	है ?		
29.	क्या शिक्षा के माध्यम से साम्प्रदायिक दंगों में कमी लायी जा सकती है ?		
30.	क्या शिक्षका–शिक्षिकाओं के माध्यम से भी सर्वधर्म समान की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है ?		
31.	क्या आपकेक विचार में देश के राष्ट्रीय मूल्यों , धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं प्रजातंत्रकी रक्षा हो रही है ?		
32.	क्या धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र को स्थापित किया जा सकता है ?		
33.	गोष्ठियों व रैलियों के आयोजन से सम्प्रदायवाद को दूर किया जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं ?		
34.	क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने आपको कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं ?		
35.	क्या आपके विचार से जनता इन अधिकारों का उपयोग उचित रूप से कर रही है ?		

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राय पारस नाथ 2009 अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

2. लाल रमन बिहारी 2009–10 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।

3. मुहम्मद सुलेमान 2005–06 मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षण मे शोध विधियॉं, जनरल बुक एजेन्सी, पटना।

4. पाठक पी0डी0 2007 शिक्षा के सिद्धान्त, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

5. गुप्ता रामबाबू 2003 शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

6. डॉ0 सरस्वत मालती 2005 माध्यमिक शिक्षा सिद्धान्त, आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद।

7. जैन पुखराज 2007 भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संविधान, साहित्य भवन, आगरा।

8. विसारिया एस0एल0 2006 समाजशास्त्र गाइड, ग्रन्थम, कानपुर।

9. डॉ0 कपिल एच0के0 2002 अनुसंधान विधियॉं, हरप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन, आगरा।

10. भट्ट भरतराम 2005 एकता के चार अध्याय, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, आगरा।

11. डॉ0 गुप्त राम मोहन 2003 भारत का सामाजिक एवं सांस्कृति इतिहास, एम0एम0 प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स, कानपुर।

पत्रिकाऐं

1. योजना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

2. आजकल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

3. नया ज्ञानोदय, भारती ज्ञानपीठ प्रकाशन की पत्रिकाएँ।

4. इण्डिया टुडे, टाइम्स प्रकाशन, नई दिल्ली।

समाचार पत्र

समाचार पत्रों में साम्प्रदायिकता सम्बन्धी प्रकाशित कुछ लेख।